फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

नाथूलाल बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0– 24/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 388, 377 वाके ग्राम बहरावण्डा तह0 बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के मृतक पिता व प्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 12 के मृतक दादा व ससुर काल्या अशुद्ध वल्दीयत घिस्या दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चला आ रहा है। शेष मुताबिक जमाबंदी अन्य सह खातेदारान के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी चला आ रहा है। जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष वांछनीय नहीं है। मुताबिक सजरा खानदान मृतक गणेश के दो पुत्र सन्तान क्रमश काल्या व घिस्या उत्पन्न हुए थे जिनमें से प्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 मृतक काल्या पुत्र गणेश के विधिक वारिसान है तथा प्रार्थीगण संख्या 13 लगायत 22 मृतक घिस्या पुत्र गणेश के विधिक वारिसान है जिनके मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। खसरा नंबर 388 एवं 377 में मृतक काल्या उर्फ कालूराम एवं मृतक घिस्या पिसरान गणेश का समतुल्य हक हिस्सा निहित था। खसरा नंबर 388 में मृतक काल्या उर्फ कालूराम पुत्र गणेश हिस्सा 1/2 तथा घिस्या पुत्र गणेश हिस्सा 1/2 दर्ज एवं अंकित होना चाहिए था जिसकी जगह काल्या पुत्र घिस्या हिस्सा पूर्ण अशुद्ध रूप से दर्ज एवं अंकित हो गया तथा खसरा नंबर 377 हिस्सा 2/11 में आधा हिस्सा काल्या एवं आधा हिस्सा घिस्या पुत्र गणेश के नाम दर्ज होना चाहिए जिसकी जगह काल्या पुत्र घिस्या हि0 2/11 दर्ज है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर काल्या पुत्र घिस्या के स्थान पर काल्या उर्फ कालूराम पुत्र गणेश व घिस्या पुत्र गणेश व आराजी खसरा नंबर 377 में से दर्ज हिस्सा 2/11 में अशुद्ध इन्द्राज काल्या पुत्र घिस्या की जगह काल्या उर्फ कालूराम पुत्र गणेश एवं घिस्या पुत्र गणेश हिस्सा बराबर बराबर समस्त जाति माली निवासी बहरावण्डा दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। एवं प्रकरण में तहसीलदार बहरावण्डा से बिन्दुवार जवाब प्राप्त किया गया। तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा जवाब में अंकित किया है कि साबिक राजस्व रिकॉर्ड में काल्या पुत्र घीस्या दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत का लैटरपैड, मृत्यू प्रमाण पत्र की प्रति पेश की है। उक्त से यह स्पष्ट है कि काल्या उर्फ कालूराम के पिता का सही नाम गणेश है। विवादित भूमि में घिस्या के 1/2 के हिस्से के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि में कभी घिस्या पुत्र गणेश का हिस्सा दर्ज रहा हो। तथा धारा 136 एल.आर.ए. के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि ही दुरूस्त की जा सकती है। विरासतन हक अधिकार के संबंध में घिस्या पुत्र गणेश विरासतन नामान्तकरण की अपील अथवा	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

नाथूलाल बनाम राज० सरकार 24/2025

उदघोषणा बाबत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। इसलिए प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर विवादित भूमि खसरा नंबर 388 एवं 377 में काल्या पुत्र घिस्या के स्थान पर काल्या उर्फ कालूराम पुत्र गणेश दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिए जाते है। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा